भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1213
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के अन्तर्गत नौकरियां

1213. सुश्री दिया कुमारीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत राजस्थान में कुल कितनी नौकरियां प्रदान की गई हैं; और

(ख) कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राजस्थान में मानव दिवस में सृजित रोजगार की कुल संख्या 11,13,43,237 रुपए है।

कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्वभर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। सरकार ने स्थानीय स्तरों पर रोजगार सृजित करने हेतु पहल की हैं तथा प्रवासी कामगारों की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से सहायता कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, उत्साहवर्धक जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है जिससे युवाओं हेतु रोजगार सृजित हो। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुकर बनाने हेतु 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज शामिल है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 20 जून, 2020 को एक 125-दिवसीय अभियान, गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया गया है, जिसे कोविड -19 महामारी से प्रभावित लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण आबादी के मुद्दों के समाधान के लिए जिसमें प्रभावित लोगों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करने की रणनीति, सार्वजनिक अवसंरचना से गाँवों को संतृप्त करने और आजीविका परिसंपत्तियों का सृजन आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे बहुस्तरीय माध्यम से शुरू किया गया है तथा इसमें 6 राज्यों के 116 चुनिंदा जिलों में 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवर्त के साथ 25 कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक आजीविका को बढावा देना शामिल है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

*****